बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 71 / आवंटन/ पटना, दिनांक 15.11.17

सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 11 / 2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक निबंधक,
बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना।

विषय :– **मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0103–हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–23-2851001030103, विषय शीर्ष 0103.33.01–सब्सिडी मद से बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना के द्वारा विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति की जा रही सतरंगी चादर की राशि के भुगतान में हो रहे विलंब के समाधान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में सब्सिडी की प्रथम किस्त की राशि रू0 50,00,000/– (पचास लाख) मात्र की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4785 दि0 14.11.2017 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 **50,00,000/– (पचास लाख)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना आय–व्ययक शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0103–हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–23-2851001030103, विषय शीर्ष 0103.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

5 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

6. उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

7 राशि की निकासी पटना सिटी कोषागार, गुलजारबाग, पटना से की जाएगी।

8. आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4785 दिनांक 14.11.2017 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

15/11/17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 71/आवंटन/ पटना, दिनांक 15.11.17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी कोषागार, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/11/17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 71/आवंटन/ पटना, दिनांक 15.11.17

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर, बिहारशरीफ, मधुबनी एवं सीवान/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, ह0रे0 निदेशालय, बिहार, पटना/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर, बिहारशरीफ, मधुबनी एवं सीवान एवं आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/11/17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।